

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2031  
दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

**कर्नाटक में जल जीवन मिशन**

2031. श्री डी.के. सुरेश:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्धारित कुल धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में जेजेएम के अंतर्गत जिला-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित और उपयोग की गई है; और
- (ग) क्या सरकार ने जेजेएम के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति  
(श्री राजीव चन्द्रशेखर)

(क) और (ख): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में कर्नाटक सहित राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

देश में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल की सुविधा का विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, दिनांक 11.12.2023 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के

अनुसार, लगभग 10.55 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 11.12.2023 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 13.79 करोड़ (71.67%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति उपलब्ध होने की सूचना है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत कर्नाटक सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आबंटित, जारी और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): भारत सरकार ने पूरे देश में जेजेएम की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर संयुक्त चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना, आयोजना और कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा करना, आदि शामिल हैं। पारदर्शिता लाने और प्रभावी निगरानी के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। डैशबोर्ड निम्न लिंक पर उपलब्ध है:  
<https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx>

\*\*\*\*\*

जल जीवन मिशन: 2019-20 में आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	1.78	0.50	0.50	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	25.74	372.64	372.64	398.38	121.62	54.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.22	132.55	177.47	183.69	126.14	13.35
4.	असम	359.35	694.95	442.36	811.32	358.87	29.01
5.	बिहार	313.16	787.31	417.35	730.51	473.33	150.34
6.	छत्तीसगढ़	31.58	208.04	65.82	97.40	39.23	37.55
7.	गोवा	0.00	7.57	3.08	3.08	3.08	6.17
8.	गुजरात	0.00	390.31	390.31	390.31	384.61	394.74
9.	हरियाणा	10.13	149.95	149.95	160.08	69.29	73.80
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	148.67	205.83	205.83	197.87	15.46
11.	जम्मू एवं कश्मीर	27.14	322.03	322.03	349.17	200.25	24.01
12.	झारखंड	75.79	267.69	291.19	382.97	114.58	119.71
13.	कर्नाटक	26.61	546.06	546.06	572.67	492.24	297.87
14.	केरल	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
15.	लद्दाख	8.10	166.65	67.86	75.96	एनआर	0.65
16.	मध्य प्रदेश	1.26	571.60	571.60	572.86	326.65	288.75
17.	महाराष्ट्र	248.12	847.97	345.28	593.40	308.04	428.14
18.	मणिपुर	0.00	67.69	91.17	91.17	28.20	6.60
19.	मेघालय	0.80	86.02	43.01	43.81	26.35	0.77
20.	मिजोरम	0.14	39.87	68.05	68.19	37.41	1.81
21.	नागालैंड	0.00	56.49	56.49	58.44	23.54	4.67
22.	ओडिशा	0.78	364.74	364.74	365.52	275.02	255.02
23.	पुदुचेरी	1.27	2.50	एनडी	1.27	0.97	एनआर
24.	पंजाब	102.91	227.46	227.46	330.37	73.27	78.20
25.	राजस्थान	313.67	1,301.71	1,301.71	1,615.38	620.31	698.54
26.	सिक्किम	0.84	15.41	26.15	27.02	14.71	1.48
27.	तमिलनाडु	1.49	373.87	373.10	378.67	114.58	99.14
28.	तेलंगाना	4.48	259.14	105.52	119.43	88.33	74.46
29.	त्रिपुरा	48.94	107.64	145.37	195.90	59.45	6.46
30.	उत्तर प्रदेश	58.33	1,206.28	1,513.14	1,571.47	639.32	380.10
31.	उत्तराखंड	6.12	170.53	170.53	176.65	110.04	23.02
32.	पश्चिम बंगाल	760.82	995.33	994.75	1,755.57	609.00	445.03

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: 2020-21 में आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.50	2.93	1.46	1.96	1.45	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	276.76	790.48	297.62	574.38	427.73	180.97
3.	अरुणाचल प्रदेश	57.56	254.85	344.85	402.41	392.43	32.05
4.	असम	452.45	1,608.51	551.77	1,004.22	880.44	90.02
5.	बिहार	257.18	1,839.16	353.60	610.78	551.82	374.42
6.	छत्तीसगढ़	58.17	445.52	334.14	392.31	223.80	221.10
7.	गोवा	-	12.41	6.20	6.20	2.99	13.49
8.	गुजरात	5.70	883.08	983.08	988.78	838.50	883.43
9.	हरियाणा	90.80	289.52	72.38	163.18	130.94	120.17
10.	हिमाचल प्रदेश	7.95	326.20	547.48	555.43	329.01	42.25
11.	जम्मू एवं कश्मीर	148.92	681.77	53.72	202.64	88.69	5.17
12.	झारखंड	268.39	572.24	143.06	411.45	286.62	177.73
13.	कर्नाटक	80.42	1,189.40	446.36	526.78	349.62	416.38
14.	केरल	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
15.	लद्दाख	75.96	352.09	एनडी	75.96	9.43	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	246.21	1,280.13	960.09	1,206.30	1,014.70	875.99
17.	महाराष्ट्र	285.35	1,828.92	457.23	742.58	473.59	324.16
18.	मणिपुर	62.96	131.80	141.80	204.76	189.14	18.52
19.	मेघालय	17.46	174.92	184.92	202.48	188.30	20.44
20.	मिजोरम	30.77	79.30	104.30	135.07	107.90	10.13
21.	नागालैंड	34.90	114.09	85.57	120.47	91.95	10.00
22.	ओडिशा	90.50	812.15	609.11	699.61	688.69	673.00
23.	पुदुचेरी	0.30	4.64	1.06	1.38	0.20	1.00
24.	पंजाब	257.10	362.79	एनडी	257.10	146.74	104.95
25.	राजस्थान	995.07	2,522.03	630.51	1,625.58	762.04	789.05
26.	सिक्किम	12.30	31.36	39.36	51.66	43.43	3.75
27.	तमिलनाडु	264.09	921.99	690.36	954.45	576.97	399.57
28.	तेलंगाना	31.10	412.19	82.71	116.32	61.17	133.98
29.	त्रिपुरा	136.46	156.61	117.46	256.52	195.00	22.26
30.	उत्तर प्रदेश	932.16	2,570.94	1,295.47	2,227.63	1,761.06	886.94
31.	उत्तराखंड	66.60	362.58	271.93	338.53	227.32	20.02
32.	पश्चिम बंगाल	1,146.58	1,614.18	807.08	1,953.66	1,196.07	641.17

दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव और लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: 2021-22 में आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.52	8.26	2.06	2.58	1.05	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	146.65	3,182.88	791.06	937.71	234.76	235.39
3.	अरुणाचल प्रदेश	9.98	1,013.53	1,555.53	1,565.51	1,114.29	106.62
4.	असम	123.78	5,601.16	4,200.87	4,324.65	2,505.44	312.89
5.	बिहार	58.95	6,608.25	एनडी	58.95	4.00	340.45
6.	छत्तीसगढ़	168.52	1,908.96	477.24	645.76	498.69	488.63
7.	गोवा	3.21	45.53	22.77	25.98	14.03	17.98
8.	गुजरात	150.28	3,410.61	2,557.96	2,708.24	2,124.85	2,226.25
9.	हरियाणा	32.24	1,119.95	559.98	592.22	434.74	431.27
10.	हिमाचल प्रदेश	226.42	1,262.78	2,012.78	2,239.20	1,420.94	146.73
11.	जम्मू एवं कश्मीर	113.96	2,747.17	604.18	718.14	112.43	8.31
12.	झारखंड	124.83	2,479.88	512.22	637.05	437.21	510.99
13.	कर्नाटक	177.16	5,008.80	2,504.40	2,681.56	1,418.56	1,557.92
14.	केरल	40.07	1,804.59	1,353.44	1,393.51	957.44	1,059.57
15.	लद्दाख	66.52	1,429.96	340.68	407.20	144.96	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	191.61	5,116.79	3,837.59	4,029.20	2,262.78	2,479.33
17.	महाराष्ट्र	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	377.98	477.98
18.	मणिपुर	15.62	481.19	601.19	616.81	474.78	52.80
19.	मेघालय	14.18	678.39	1,078.39	1,092.57	672.05	76.55
20.	मिजोरम	27.17	303.89	303.89	331.06	250.98	32.31
21.	नागालैंड	28.52	444.81	333.61	362.13	345.14	27.88
22.	ओडिशा	10.93	3,323.42	2,492.56	2,503.49	1,306.20	1,289.71
23.	पुदुचेरी	1.18	30.22	7.47	8.66	2.32	0.10
24.	पंजाब	110.36	1,656.39	402.24	512.60	247.83	175.81
25.	राजस्थान	863.53	10,180.50	2,345.08	3,208.61	1,920.16	1,664.02
26.	सिक्किम	8.23	124.79	194.79	203.02	90.12	11.57
27.	तमिलनाडु	377.48	3,691.21	614.35	991.83	457.55	496.23
28.	तेलंगाना	55.15	1,653.09	एनडी	55.15	17.70	68.88
29.	त्रिपुरा	61.51	614.09	714.09	775.60	599.82	65.13
30.	उत्तर प्रदेश	466.56	10,870.50	5,435.25	5,901.81	2,930.07	3,525.40
31.	उत्तराखंड	111.22	1,443.80	1,082.85	1,194.07	597.97	67.40
32.	पश्चिम बंगाल	757.58	6,998.97	1,404.61	2,162.19	1,547.52	725.77

दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव और लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: 2022-23 में आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.53	9.15	2.16	3.69	0.60	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	702.95	3,458.20	एनडी	702.95	305.08	98.75
3.	अरुणाचल प्रदेश	451.21	1,116.35	1,116.35	1,567.56	1,278.63	153.03
4.	असम	1,819.21	6,117.61	4,588.21	6,407.42	3,959.95	442.75
5.	बिहार	54.95	4,766.90	एनडी	54.95	एनआर	66.19
6.	छत्तीसगढ़	147.06	2,223.98	2,223.98	2,371.04	2,097.06	2,079.48
7.	गोवा	11.95	49.98	एनडी	11.95	11.04	20.14
8.	गुजरात	583.39	3,590.16	3,590.16	4,173.55	3,084.89	3,272.38
9.	हरियाणा	157.47	1,157.44	463.00	620.47	519.77	447.46
10.	हिमाचल प्रदेश	818.27	1,344.94	1,344.94	2,163.21	1,615.65	182.41
11.	जम्मू एवं कश्मीर	605.71	3,039.11	1,439.50	2,045.21	1,142.65	153.69
12.	झारखंड	199.83	2,825.52	2,119.14	2,318.97	1,789.85	1,593.00
13.	कर्नाटक	1,263.00	5,451.85	2,725.93	3,988.93	2,778.72	3,196.96
14.	केरल	436.08	2,206.54	2,206.54	2,642.62	1,741.93	1,741.68
15.	लद्दाख	262.25	1,555.77	382.76	645.01	364.32	एनआर
16.	लक्षद्वीप	-	36.99	9.25	9.25	एनआर	एनआर
17.	मध्य प्रदेश	1,766.42	5,641.02	2,820.51	4,586.93	3,526.66	3,516.16
18.	महाराष्ट्र	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.69	2,972.28
19.	मणिपुर	142.03	512.05	256.03	398.06	233.64	26.03
20.	मेघालय	420.52	747.76	1,047.00	1,467.52	1,098.48	122.85
21.	मिजोरम	80.08	333.91	448.58	528.66	407.40	45.74
22.	नागालैंड	17.00	484.28	484.28	501.28	481.71	52.71
23.	ओडिशा	1,197.29	3,608.62	1,768.73	2,966.02	2,166.47	2,149.96
24.	पुदुचेरी	6.34	17.83	एनडी	6.34	0.94	0.22
25.	पंजाब	264.78	2,403.46	एनडी	264.78	264.80	210.69
26.	राजस्थान	1,288.46	13,328.60	6,081.80	7,370.26	3,938.57	4,122.81
27.	सिक्किम	112.90	136.17	188.92	301.82	222.53	20.63
28.	तमिलनाडु	534.29	4,015.00	872.96	1,407.25	594.64	665.28
29.	तेलंगाना	37.44	1,657.56	एनडी	37.44	11.39	13.52
30.	त्रिपुरा	175.78	666.97	849.91	1,025.69	798.67	82.64
31.	उत्तर प्रदेश	2,971.74	12,662.05	9,496.54	12,468.28	9,990.16	9,444.95
32.	उत्तराखंड	596.09	1,612.50	1,209.38	1,805.47	1,517.93	164.10
33.	पश्चिम बंगाल	614.67	6,180.25	3,090.12	3,704.79	1,953.73	3,204.21

दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव और लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: 2023-24 में आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(11.12.2023 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.09	7.52	3.76	6.85 1191.44	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	397.87	6,530.49	793.57	1,191.44	663.02	747.54
3.	अरुणाचल प्रदेश	288.93	1,057.11	771.21	1,060.14	551.75	71.97
4.	असम	2,447.47	10,351.68	2,902.00	5,349.47	4,205.67	468.37
5.	बिहार	54.95		0	54.95	एनआर	एनआर
6.	छत्तीसगढ़	273.99	4,485.60	1,985.56	2,259.55	1,370.51	1,364.34
7.	गोवा	0.92		11.25	12.17	2.9	2.94
8.	गुजरात	1,088.66	2,982.85	1,491.43	2,580.09	1,424.19	1,534.25
9.	हरियाणा	100.7	1,053.44	526.72	627.42	363.83	383.95
10.	हिमाचल प्रदेश	547.56	379.67	189.84	737.40	571.92	66.66
11.	जम्मू एवं कश्मीर	902.56	9,611.31	2,150.34	3,052.90	1,909.57	162.27
12.	झारखंड	529.13	4,722.76	2,006.51	2,535.64	1,620.45	1,940.06
13.	कर्नाटक	1,270.33	12,623.37	2,483.31	3,753.64	1,651.00	1,648.96
14.	केरल	900.69	1,342.36	671.18	1,571.87	1,279.08	1,269.30
15.	लद्दाख	280.68	477.11	0	280.68	165.39	एनआर
16.	लक्षद्वीप	9.25	39.63	19.82	29.07	एनआर	एनआर
17.	मध्य प्रदेश	1,060.06	10,297.86	3,971.18	5,031.24	3,918.22	3,912.17
18.	महाराष्ट्र	2,363.58	21,465.88	5,583.20	7,946.78	4,765.90	4,958.91
19.	मणिपुर	166.09	110.54	0	166.09	38.38	6.09
20.	मेघालय	369.49	3,567.25	713.85	1,083.34	854.87	95.22
21.	मिजोरम	121.27	425.46	151.55	272.82	242.67	20.06
22.	नागालैंड	19.57	366.86	183.43	203.00	198.93	33.12
23.	ओडिशा	799.56	2,108.54	1,054.27	1,853.83	1,266.25	1,258.25
24.	पुदुचेरी	5.4	15.39	0	5.40	5.23	0.56
25.	पंजाब	0	479.02	119.76	119.76	एनआर	39.51
26.	राजस्थान	3,431.69	3,019.94	0	3,431.69	2,350.50	2,195.09
27.	सिक्किम	79.29	634.55	131.61	210.90	199.44	21.13
28.	तमिलनाडु	812.6	3,615.56	872.37	1,684.97	1,281.11	1,283.15
29.	तेलंगाना	26.06	0	0	26.06	एनआर	एनआर
30.	त्रिपुरा	227.01	1,773.40	594.18	821.19	530.5	59.28
31.	उत्तर प्रदेश	2,478.12	20,884.45	11,647.05	14,125.17	12,133.34	14,002.34
32.	उत्तराखंड	297.46	4,689.69	1,490.66	1,788.12	1,336.80	145.08
33.	पश्चिम बंगाल	1,751.06	3,806.29	1,903.15	3,654.21	2,533.68	2,708.97

दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव और लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं